



## उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्

राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स, पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून

Email id- ukavpddn@gmail.com

Phone No. 0135-2651033

पत्रांक:-५८१ / उ०आ०वि०परि० पत्रांसं-२९ (२०२१-२२).

दिनांक: १३ अक्टूबर, २०२१

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय आदेश संख्या:- ३७८/उ०आ०वि०परि० पत्रांसं-२३/३, दिनांक: १२ अगस्त, २०२१ द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५) (संशोधन) अधिनियम, २००९ की धारा-१२ (२) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन के आदेश दिनांक: ०९ अक्टूबर, २०१९ द्वारा नामित अधिकारियों/ कार्मिकों को अधिनियम की धारा- ८१, ८२, ८३, ८४ एवं ८८ के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

अतः परिषद् कार्यालय के क्रियाकलापों के सुचारू सम्पादन हेतु उक्त आदेश में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	कार्य
१.	अपर आवास आयुक्त मुख्यालय	<ol style="list-style-type: none"> <li>गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति एवं शमन, धारा १२(२)/३५/८१ के अन्तर्गत ५०० वर्ग मी० भूखण्ड तक समस्त मानचित्रों एवं शमन की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र।</li> <li>धारा १२(२)/३५/८१ तलपट मानचित्रों पर रिपोर्ट का परीक्षण एवं प्रेषण, आवास आयुक्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त मानचित्र पूर्णता प्रमाण पत्र का निर्गमन।</li> <li>अन्य प्रकरण जिनकी स्वीकृति आयुक्त स्तर से होगी, पर रिपोर्ट का प्रेषण एवं अनुमोदनोपरान्त मानचित्र/शमन मानचित्र/पूर्णता प्रमाण—पत्र का निर्गमन।</li> <li>सम्पत्तियों का नामान्तरण/अन्तरण/निवन्धन, अपर आयुक्त मुख्यालय के अनुमोदन पर प्राधिकृत किये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु निवन्धन कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। फौहोल्ड/लौजडीड पर आवास आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना।</li> <li>रु. पांच लाख तक के कार्यों, सेवाओं एवं वस्तुओं के अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अधिप्राप्ति नियमावली एवं समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्राविधानों के अनुसार।</li> <li>परिषद् द्वारा एवं परिषद् के विरुद्ध दायर वादों की पैरवी करना। अधीनस्थों व आबद्ध अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु अधिकृत/निर्देशित करना। (आबद्ध अधिवक्ता के इतर किसी अन्य अधिवक्ता को पैरवी हेतु आबद्ध किये जाने से पूर्व आवास आयुक्त का अनुमोदन आवश्यक होगा)।</li> <li>अन्य निर्देश/दायित्व जो आवास आयुक्त द्वारा सौंपे जायेंगे।</li> </ol>
२.	प्राधिकरणों में तैनात सचिव/अपर आवास आयुक्त	<ol style="list-style-type: none"> <li>धारा १२(२)/३५ के अन्तर्गत २०० वर्ग मी० भूखण्ड में एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गमन।</li> <li>२०० वर्ग मी० के भूखण्डों में एकल आवासीय इकाइयों का शमन स्वीकृति धारा १२(२)/८१ के अन्तर्गत।</li> <li>धारा ८२ के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने का निर्देश देने का अधिकार (एकल आवासीय प्रकरणों का निस्तारण स्वयं के स्तर से, किन्तु गैर-एकल आवासीय प्रकरणों व तलपट मानचित्रों पर वाद समाप्त करने के पूर्व आवास आयुक्त का अनुमोदन अपेक्षित होगा)।</li> <li>धारा ८४ अन्तर्गत प्रवेश करने का अधिकार।</li> <li>धारा ८८ के अन्तर्गत आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त वाद एवं विधिक कार्यवाही में पैरवी करना।</li> </ol>

		<p>6. परिषद के कर्तव्यों/क्रियाकलार्पों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त मुख्यालय एवं परिषद मुख्यालय में वांछित रिपोर्ट/प्रस्ताव का समय प्रेषण।</p> <p>7. ल. एक लाख तक के कार्यों, सेवाओं एवं वस्तुओं के अधिप्राप्ति अधिप्राप्ति नियमावली प्राविधानों के अनुसार।</p> <p>8. अन्य निर्देशों/दायित्वों, जो आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा समय—समय पर सौंपे जायेंगे।</p>
3.	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ मुख्य सहायक /वरिष्ठ सहायक /कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय)	<p>1. अपर आवास आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर) के कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु उनके आदेश/निर्देशानुसार कार्य करना।</p>
4.	प्राधिकरणों में तैनात अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक	<p>1. अपर आवास आयुक्त (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्तर पर) के कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु उनके आदेश/निर्देशानुसार कार्य करना।</p> <p>2. उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की समस्त सम्पत्तियों के देख-रेख एवं रख-रखाव/संचालन, अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अभिलेखों का रख-रखाव संबंधित सहायक द्वारा किया जायेगा।</p>

भवदीय,

४०/-

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)  
आवास आयुक्त

#### प्रतिलिपि :

- उपाध्यक्ष, मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/उपाध्यक्ष, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा/नैनीताल/उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
- सचिव, मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सचिव, हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा/नैनीताल/उधमसिंहनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
- समस्त नाभित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अधिष्ठान कर्मी/कार्मिकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त कार्मिक उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

१  
२३/७/२०१७  
(प्रकाश चन्द्र दुम्का)

अपर आवास आयुक्त